



कर्मचारी भविष्य निधि संगठन

Employees Provident Fund Organisation

(श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार)

(MINISTRY OF LABOUR & EMPLOYMENT, GOVERNMENT OF INDIA)

मुख्य कार्यालय/Head Office

प्लेट ए, ग्राउंडफ्लोर, ब्लॉक-II, ईस्ट किडवाई नगर नई दिल्ली-110023

Plate A, Ground Floor, Block II, East Kidwai Nagar, New Delhi-110023

Website: www.epfindia.gov.in, www.epfindia.nic.in



फाइल सं.ए-45011/89/2025-एचआरएम-III/187

दिनांक: 15 अक्टूबर 2025

कार्यालय आदेश

विषय: आंचलिक कार्यालय केरल के अंतर्गत यूपीएससी डीआर बैच 2023 के माध्यम से सीधे भर्ती किए गए प्रवर्तन अधिकारी/लेखा अधिकारी की परीक्षा और पुष्टि की मंजूरी।

यूपीएससी डीआर बैच 2023 के माध्यम से सीधे भर्ती किए गए प्रवर्तन अधिकारी/लेखा अधिकारी की परीक्षा के संतोषजनक समापन की मंजूरी पर विचार एवं वेतन मैट्रिक्स स्तर-8 पद में प्रवर्तन अधिकारी/लेखा अधिकारी के पद पर उनकी पुष्टि (पूर्व-संशोधित 9300-34800/- ग्रेड पे रु। 4800/-) करने के लिए दिनांक 19.09.2025 को क्षेत्रीय कार्यालय केरल विभागीय पुष्टि समिति (डीसीसी) की सिफारिशों के आधार पर, अपर केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त (मुख्यालय), एचआरएम निम्नलिखित अधिकारी को उनके नाम के सामने उल्लिखित तिथियों से प्रवर्तन अधिकारी/लेखा अधिकारी के पद पर नियुक्त करते हैं:

क्रम.सं	अधिकारी का नाम (श्रीमान/श्रीमती/सुश्री)	तैनाती का स्थान	पुष्टि की तिथि
1.	गोकुल सुरेश	कन्नूर	20.01.2025
2.	जितिन वी जे	कोल्लम	01.02.2025
3.	उन्नीकृष्णन ए के	कोच्ची	20.01.2025
4.	अखिल नांबियार	कोझिकोड	08.02.2025
5.	जुबिन एबी कुरियन	त्रिवेंद्रम	20.01.2025
6.	हरिप्रिया एस आर	त्रिवेंद्रम	20.01.2025
7.	प्रीतू टी जे	कोच्ची	20.01.2025
8.	रोहित सजीव	कोट्टयम	20.01.2025
9.	विष्णु नारायण प्रसाद के वी	कोझिकोड	20.01.2025

- इसके अलावा, जहां भी स्थायीकरण की तिथि सेवा में शामिल होने के पश्चात दो वर्ष पूरे होने के बाद हो, वहां दो वर्ष से अधिक की अवधि को परीक्षा अवधि के प्रसार के रूप में माना जाएगा।
- उपर्युक्त सूची वरिष्ठता के क्रम में नहीं है और इसे प्रवर्तन अधिकारी/लेखा अधिकारी की वरिष्ठता सूची के रूप में नहीं माना जाना चाहिए।
- उपर्युक्त प्र.अ/ले.अ. क.भ.नि.सं. में कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व उन सरकारी विभागों/राज्य सरकार, जो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन पर लागू पेंशन नियमों के समान ही पेंशन नियमों का पालन करते हैं, में प्रदान की गई

अपनी पिछली सेवा/रोजगार की गणना के लिए अपर केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त (मुख्यालय) एचआरएम को संबोधित आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं और ऐसे मामलों में जहां नियमों के तहत लागू हो, ऐसी सेवा/रोजगार को सीसीएस (पेंशन) नियम, 1972 के तहत अर्हक सेवा के रूप में माना जाएगा। उक्त नियमों के अनुसार राशि जमा करने के उपक्रम के साथ आवेदन स्व-निहित होना चाहिए, इस आदेश के जारी होने की तारीख से तीन महीने के भीतर उचित चैनल के माध्यम से जमा कर सकते हैं। आवेदन स्व-निहित होना चाहिए, जिसमें सेवा/रोजगार के प्रासंगिक विवरण, संवर्ग नियंत्रण प्राधिकारी का पता, प्राप्त अंतिम लाभ आदि, उपरोक्त नियमों के अनुसार राशि जमा करने की अंडरटेकिंग के साथ होना चाहिए।

(अपर केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त (मुख्यालय), एचआरएम के अनुमोदन से जारी)


(मनीष मणि)

क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त-1 (एचआरएम)

सेवा में,

सभी संबंधित अधिकारी

[संबंधित प्रभारी क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त के माध्यम से]

प्रतिलिपि (क.भ.नि.सं. वेबसाइट के माध्यम से)

1. संबंधित क्षेत्रीय अधिकारियों के प्रभारी क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त से अनुरोध है कि वे संबंधित अधिकारियों की सेवा पुस्तिका में प्रविष्टियाँ करें और इस आदेश की एक प्रति संबंधित व्यक्तिगत फाइल में रखें।
2. कें.भ.नि.आयुक्त के निजी सचिव।
3. सभी अपर केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त (अंचल)
4. मुख्यालय के सभी अपर केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त
5. निदेशक (पीडीनास) - सूचना और आवश्यक कार्रवाई के हेतु।
6. वि.सला.एवं.मु.ले.अ/मु.सत.अधि/मुख्य अभियंता/सभी अपर केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त (मुख्यालय) के प्रधान निजी सचिव।
7. मुख्यालय के सभी अधिकारी।
8. सभी क्षेत्रीय कार्यालय/क्षे.भ.नि.आयुक्त (प्र.से.प्र), मुख्यालय।
9. क्षे.भ.नि.आयुक्त, एनडीसी, नई दिल्ली
10. सभी उप निदेशक (सतर्कता)/आंचलिक लेखा परीक्षा दल/ क्षे.भ.नि. आयुक्त आंचलिक प्रशिक्षण संस्थान।
11. संबंधित अधिकारी की व्यक्तिगत फाइल।
12. एसीआर/जीआईएस अनुभाग, मुख्यालय/गार्ड फाइल।


(मनीष मणि)

क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त-1 (एचआरएम)